

/17/11/2023

29/11/23

CE(P)/AAD

29/11/23

4996

ई पत्रावली संख्या-28320

प्रेषक,

श्याम सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

✓ प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 29 नवम्बर, 2023

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या-324/2023 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-धनौली के अन्तर्गत क्यारा से धनौली तक मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य पुनरीक्षित प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-I/151272/2023 (ई पत्रावली संख्या-28320) दिनांक 02 सितम्बर, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा विषयगत मार्ग की कुल लम्बाई 14.00 किमी0 हेतु लागत ₹21.00 लाख (रूपये इक्कीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

2- उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में मुख्य अभियन्ता, लो.नि.वि. पौड़ी द्वारा दिनांक 27.10.2023 के माध्यम से विषयगत कार्य हेतु उपलब्ध कराये गये आगणन में उल्लेख किया गया है कि शासनादेश संख्या-672/III(2)/19-22(एम.एल.ए.)/2017टी.सी. II दिनांक 14 सितम्बर, 2019 द्वारा जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र मसूरी के ग्राम क्यारा से धनौली तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य के प्रथम चरण, लम्बाई 12.00 किमी. हेतु ₹ 417.00 लाख की प्रशासकीय, वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति दिनांक 14.09.2023 के फलस्वरूप शासनादेश दिनांक 02.09.2023 के द्वारा 14.00 कि०मी० हेतु प्राप्त स्वीकृति के स्थान पर वर्तमान में केवल 4.00 कि०मी० लम्बाई में पुनरीक्षित स्वीकृति की आवश्यकता है।

3- उपरोक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के पुनरीक्षित आगणन, लम्बाई 4.00 कि०मी० एवं लागत ₹ 6.00 लाख है, के शासन स्तर पर परीक्षण किये जाने के उपरान्त शासनादेश संख्या-I/151272/2023 (ई पत्रावली संख्या-28320) दिनांक 02 सितम्बर, 2023 को अतिक्रमित करते हुए पूर्व में स्वीकृत धनराशि ₹21.00 लाख के स्थान पर 4.00 कि०मी० मार्ग हेतु ₹ 6.00 लाख की धनराशि की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

- शासनादेश संख्या-I/151272/2023 दिनांक 02 सितम्बर, 2023 को निरस्त किया जायेगा यदि पूर्व स्वीकृति के सापेक्ष कोई धनराशि व्यय की गयी है तो उसे नियमानुसार राजकोष में जमा कराया जायेगा।
- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण

145/2023

किया जायेगा। तदोपरान्त शासनादेश संख्या:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- iii. विषयगत कार्य की स्वीकृति के सम्बन्ध में शासन एवं विभागीय स्तर पर समय-समय पर आहूत बैठक में लिये गये निर्णयों का भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- iv. पुनरीक्षित आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शेड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति हेतु नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
- v. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
- vi. स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रेक्चोरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- vii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

4- उक्त योजना पर होने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक- 5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0301 चालू निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण की मद से निर्वर्तन पर रखी गई धनराशि से, आवश्यकतानुसार, अपने स्तर से किया जायेगा।

5- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटरजनित क्रमांक-1/170666/2023 दिनांक 22 नवम्बर, 2023 में प्रदत्त सहमति के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by Shyam Singh
Date: 27-11-2023 11:20:16
Reason: Approved

(श्याम सिंह)
 संयुक्त सचिव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, कौलागढ़, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
3. जिलाधिकारी, टिहरी/देहरादून।
4. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
5. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अधीक्षण अभियन्ता, अष्टम वृत्त, लो.नि.वि., नई टिहरी।
7. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई/प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., थत्यूड/देहरादून।
8. गार्ड बुक।

(सुभाष चन्द्र)
अनु सचिव।



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"नियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: eicpwduk@nic.in



पत्रांक-1426 /20 याता0'क'नियो0-1/2023

दिनांक-24.12.2023

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/देहरादून।
2. अधीक्षण अभियन्ता, 8 वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, नईटिहरी।
3. अधिशासी अभियन्ता अस्थाई/प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, थत्यूड/देहरादून।
4. अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0सैल विभागाध्यक्ष, कार्यालय लोक निर्माण विभाग, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश की प्रति विभागीय "वैबसाईट" पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
5. कनिष्ठ अभियन्ता प्राविधिक/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून